

बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

दिनांक-03.12.2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल परामर्शदाता को Manglam Infra & Engineering Limited (M/s Manglam Associates) को ग्रामीण पथों पर अवस्थित पुलों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु M/s Manglam Associates से दिनांक-27.12.2021 को एकरारनामा सम्पन्न किया गया।

दिनांक-18.06.2024 को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन PMGSY- II अन्तर्गत निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त पुल T05-Nepal Border Jhala Chowk to Jakirparas, Last Border (Construction of HL Bridge at Ch-33.20 K.m., Over River Alignment, Length of Bridge-182.65M), पैकेज संख्या-BR01P2R-49 की जाँच विभाग द्वारा गठित जाँच दल, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं IIT पटना के द्वारा करायी गयी है।

जाँच दलों से प्राप्त जाँच प्रतिवेदनों में पाया गया है कि उक्त क्षतिग्रस्त पुल में प्रयुक्त Concrete and Reinforcement, IS Code के मानक के अनुरूप नहीं है, परन्तु M/s Manglam Associates द्वारा Concrete से संबंधित सभी जाँचफल को संतोषप्रद प्रतिवेदित किया गया है, जो M/s Manglam Associates के साथ किये गये एकरारनामा में वर्णित कंडिका-8, 13 एवं 16 का उल्लंघन है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

8 (i). In case Consultancy Agency fails to render satisfactory services [to be determined by the Employer based inter-alia on Project Implementation Unit (PIU) report] with regard to any portion of the Activities comprising the Consultancy pertaining to the approved work program, the Consultancy Agency shall be liable to pay penalty.

(ii). The Employer may conduct independent quality monitoring and checking of works. If such checks disclose that works certified by the Consultancy Agency do not meet the specified standards, the BRRDA will not pay the Consultancy Agency fees for the defective works, calculated on pro-rata basis for the Activity. In addition, the Consultancy Agency will incur a penalty equal to 100% of such amount. Consultant will be responsible to get the defects rectified by the Sub Consultant/Field Engineer.


(iii). If Consultancy Agency fails to deploy the requisite personnel or replace any member as instructed, the Consultancy Agency shall be liable for termination of the agreement and or black listing.

13. The consultancy agency shall be responsible for the accuracy of the data collected, and the designs drawings and estimates prepared by him as a part of the project.

16. The various headings appearing in this Agreement are only for the sake of convenience and shall not affect the interpretation and spirit of the subject matter of various clauses of this Agreement.


तदनुसार एकरारनामा की कंडिका-8, 13 एवं 16 के आलोक में M/s Manglam Associates को अगले सभी कार्यों में भाग लेने से वंचित किया जाता है तथा एजेंसी को "05" साल के लिए कालीसूची में दर्ज किया जाता है।

विश्वासभाजन


(मनोज कुमार)
अपर सचिव


ज्ञापांक :-BRRDA (HQ)-PMGSY-19/2024, Part-III 3910 /पटना, दिनांक-18/12/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।


अपर सचिव


ज्ञापांक :-BRRDA (HQ)-PMGSY-19/2024, Part-III 3910 /पटना, दिनांक-18/12/2024

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।


अपर सचिव


ज्ञापांक :-BRRDA (HQ)-PMGSY-19/2024, Part-III 3910 /पटना, दिनांक-18/12/2024

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक :-BRRDA (HQ)-PMGSY-19/2024, Part-III 3910 /पटना, दिनांक-18/12/2024

प्रतिलिपि: पुल परामर्शी Sh. Yogendra Kumar Singh, Managing Director, Manglam Infra & Engineering Limited (M/s Manglam Associates), E-8/31, Near Bus Stop No. 12, Shivakunj, Railway Housing Society, Bhopal-462039 को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव